संख्या : ए–1– 235 / दस–2011–15 / 1(1) / 69

प्रेषक,

डा. बी. एम. जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1

लखनऊ : दिनाँक : 10 जून, 2011

विषय : सामान की पूर्ति / मशीनों की मरम्मत तथा रख–रखाव के लिए गैर सरकारी फर्मों को अग्रिम भुगतान ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–ए–1–2774 / दस–15 / 1(1) / 69 दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय विभाग / विभागाध्यक्ष को अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं । इसके क्रम में शासनादेश संख्या–ए–1–1333 / दस–15 / 1(1) / 69 दिनांक 24 मई, 1985 द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 6 भाग–1 के प्रस्तर 162 तथा प्रस्तर 249 आई में संशोधन विषयक संशोधन पर्ची संख्या–53, 54 व 55 जारी की गयी हैं ।

2– उक्त शासनादेश जारी होने के बाद के लम्बे अन्तराल में सामग्री और श्रम के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । अग्रिम भुगतान हेतु धनराशि एब्सट्रेक्ट कन्टीन्जेन्ट बिल्स (ए.सी. बिल्स) के माध्यम से आहरित की जाती है और अग्रिम धनराशि के समायोजन हेतु डिटेल्ड कन्टीन्जेन्ट बिल्स (डी.सी.बिल्स) महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाते हैं । अग्रियों के समायोजन हेतु डी.सी.बिल्स समय से न भेजे जाने के कारण तथा अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने की विद्यमान सीमा रुपये 25,000 होने की दशा में ऐसे ए.सी.बिल्स की संख्या में वृद्धि हो रही, जिनके समायोजन के लिए डी.सी.बिल्स महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना वांछित हो ।

3– मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने की सीमा को बढ़ाने तथा प्रक्रिया को सरल बनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय द्वारा अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने की विद्यमान व्यवस्था को निम्नवत् संशोधित किये जाने के आदेश दिये गये हैं :

(1) सामान की पूर्ति / मशीनों की मरम्मत तथा रख–रखाव के लिए किसी भी एक मामले में विभागाध्यक्ष द्वारा रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) से अनधिक तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा रुपये 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) से अनधिक अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ।

(2) पेट्रोल / डीजल के नगद क्रय हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) तक धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है । इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा रुपये 25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) तक अग्रिम आहरण की सीमा यथावत् रहेगी ।

(3) उद्योग निदेशालय / डी.जी.एस.एण्ड डी. / विभागीय दर अनुबन्ध अथवा मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत यदि अग्रिम भुगतान किया जाना अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हो और बजट आवंटन उपलब्ध हो, तो विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आवश्यक अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ।

(4) मशीनों / उपकरणों / कम्प्यूटर उपकरणों आदि के वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (ए.एम.सी.) के अन्तर्गत अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एक बार में छः माह की अवधि के लिए धनराशि के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है ।

(5) शासकीय निर्माण कार्यों तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन सम्बन्धी परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यदायी विभागों / संस्थाओं को धनराशि अग्रिम रूप में दिये जाने के मामले उपरोक्त से आच्छादित नहीं होंगे । इन मामलों में अग्रिम के रूप में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश सक्षम स्तर से जारी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेशों में ही सम्मिलित किये जायेंगे ।

(6) उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अग्रिम भुगतान की स्वीकृति के आदेशों के अन्तर्गत धनराशि के आहरण हेतु कोषागारों में प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों के शीर्ष पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा लाल स्याही से 'एब्सट्रेक्ट कन्टीन्जेन्ट बिल' लिखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा । साथ ही, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी बिल पर अंकित किया जायेगा कि इससे पूर्व आहरित ए.सी.बिल्स के समायोजन हेतु डी.सी. बिल्स निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महालेखाकार कार्यालय को भेज दिये गये हैं ।

4– इस सम्बन्ध में उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 1983, उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे ।

उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत न आने वाले अग्रिम भुगतानों के सम्बन्ध में वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

(बी. एम. जोशी)
सचिव, वित्त ।

संख्या : ए–1– 235 (1)/दस–2011–15/1(1)/69, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3 प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय, लखनऊ ।
4 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव , उत्तर प्रदेश शासन ।
5 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6 निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
7 समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

21.6

(आर. के. वर्मा)
विशेष सचिव ।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 25 सा० वित्त–20–6–2011–(457)–5,000+2 प्रतियां (क०/ऑ०)।